रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
**EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4
**PART III—Section 4**

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 83] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 1, 1999/आश्विन 9, 1921
**No. 83] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 1999/ASVINA 9, 1921**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1999

**सं. 301-4/99-टी.आर.ए.आई (इकॉन).**—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत स्वयं को प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि, भारत और भारत से बाहर जिन टैरिफों पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उन्हें, शासकीय राजपत्र में आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है ।

**दूरसंचार टैरिफ (छठा संशोधन) आदेश, 1999**
**(1999 का क्रमांक 7)**

## भाग I

1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभः

(i) यह आदेश "दूरसंचार टैरिफ (छठा संशोधन) आदेश, 1999" के नाम से जाना जाएगा.

(ii) यह आदेश 24 सितंबर, 1999 से लागू हुआ माना जाएगा.

## भाग II

2. (i) दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खण्ड 11 के पाठ को निम्नलिखित से बदला जाएगा :-

प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट टैरिफ, सेवा-गुणवत्ता के उन प्राचलों (पैरामीटरो) से संबंधित है जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाएं. सेवा प्रदाता, उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के नियम और शर्तों की स्पष्ट

जानकारी देंगे तथा ये नियम और शर्तें किसी भी तरह इस आदेश के प्रावधानों से असंगत नहीं होंगी. इन नियम और शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) नियम और शर्तें जिनके अंन्तर्गत सेवाएं उपलब्ध, उपयोग और समाप्त की जा सकती हैं;

(ख) सेवा के उपयोग, बिल, मरम्मत, खराबी ठीक करने आदि से संबंधित नियम और शर्तें;

(ग) उपभोक्ताओं को उपलब्ध टैरिफ पैकेजों के विकल्प और अपने चुनाव को बदलने की विधियाँ और उनसे जुड़ी शर्तें;

(ii) दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची I (आई.एस.डी.एन. के अतिरिक्त बुनियादी सेवा) में,

(क) मद 5 के अन्तर्गत नोट (4) के पाठ को निम्नलिखित से बदला जाएगा:-

1 अप्रैल, 2000 से, अल्प उपयोक्ता (यूजर) ग्राहक ओर सामान्य उपयोक्ता ग्राहक के निमित्त किराए, बिलिंग साइकिल के अन्त में लिए जाएंगे और इनका आधार, उस विशेष बिलिंग साइकिल के दौरान ग्राहक द्वारा उपयोग की सीमा या विस्तार होगा. इसलिए, बिलिंग साइकिल के दौरान उपयोग से ही इस बात का निर्धारण होगा कि ग्राहक अल्प उपयोक्ता है या सामान्य उपयोक्ता, और इस निर्धारण के अनुसार ही बिलिंग साइकिल के अन्त में, इन श्रेणियों से संगत किराए लिए जाएंगे.

(ख) मद 6 के अन्तर्गत नोट (4) के पाठ को निम्नलिखित से बदला जाएगा:-

1 अप्रैल, 2000 से, अल्प उपयोक्ता (यूजर) ग्राहक ओर सामान्य उपयोक्ता ग्राहक के निमित्त किराए, बिलिंग साइकिल के अन्त में लिए जाएंगे और इनका आधार, उस विशेष बिलिंग साइकिल के दौरान ग्राहक द्वारा उपयोग की सीमा या विस्तार होगा. इसलिए, बिलिंग साइकिल के दौरान उपयोग से ही इस बात का निर्धारण होगा कि ग्राहक अल्प उपयोक्ता है या सामान्य उपयोक्ता, और इस निर्धारण के अनुसार ही बिलिंग साइकिल के अन्त में, इन श्रेणियों से संगत किराए लिए जाएंगे.

(ग) मद 18.ई के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ें :-

| मद | टैरिफ |
| --- | --- |
| (18) सेवा प्रदाता के स्वामित्व में "सेन्ट्रेक्स" सेवा<br><br>टैरिफ संबंधी मामले | निरपेक्षता |

# भाग III

2. इस आदेश में अनुबंध - क पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन - 6 है जो दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में इस संशोधन के कारणों को स्पष्ट करता है.

आदेशानुसार

हर्ष वर्धन सिंह, आर्थिक सलाहकार

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/142/99]

## अनुबंध "क"

## व्याख्यात्मक ज्ञापन - 6

### I. उपभोक्ताओं के एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने या स्थानान्तरण की प्रक्रिया.

1. दूरसंचार टैरिफ आदेश (टी टी ओ), 1999 में कहा गया है कि:

" उपभोक्ताओं के एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाना या स्थानान्तरण (अर्थात् अल्प उपयोक्ता ग्राहक की श्रेणी से सामान्य उपयोक्ता ग्राहक की श्रेणी में चले जाना, या इसके विपरीत होना) जो कि उपयोग की सीमा या विस्तार के आधार पर होगा, की प्रक्रिया को 30 सितंबर, 1999 से पहले अधिसूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि यह मामला 1 अप्रैल, 2000 से ही संबद्ध है."

2. इस स्पष्टीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि, टी टी ओ 1999 में, 1 अप्रैल, 2000 से, अल्प उपयोक्ता (यूजर) ग्राहकों की तुलना में सामान्य उपयोक्ता ग्राहकों के लिए, अधिक मासिक किराए विनिर्दिष्ट हैं.

3. जब टी टी ओ 1999 जारी किया गया था, तब किराए पेशगी या अग्रिम लिए जाते थे. तदनुसार, दूरसंचार विभाग द्वारा बिलिंग साइकिल के अन्त में किराए लिए जाते हैं. किराए लेने की इस विधि के द्वारा, बिलिंग साइकिल में अल्प उपयोक्ता ग्राहकों और सामान्य उपयोक्ता ग्राहकों की श्रेणियां सीधे-सीधे बन जाती हैं जो ग्राहकों द्वारा उपयोग की सीमा या विस्तार पर आधारित होती हैं.

### II. सेन्ट्रेक्स के लिए टैरिफ

4. प्राधिकरण ने अपने टी टी ओ 1999 में "सेन्ट्रेक्स" सेवाओं के लिए कोई टैरिफ निर्धारित नहीं किया था. "सेन्टेक्स" के निमित्त, (आई.एस.डी.एन. के अलावा बुनियादी सेवाओं की) अनुसूची I में, टैरिफ की एक नई श्रेणी जोड़ी गई है. सेन्ट्रेक्स सेवाएं पहली बार सितम्बर, 1999 से शुरू की जा रही हैं. इस मद की क्रम सं0 18 है. प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि इस सेवा के टैरिफों पर फिलहाल निरपेक्षता रखी जाए.

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 1999

**No. 301-4/99-TRAI (E.Con.).**—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 to notify, by an Order in the Official Gazette, tariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order.

## THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SIXTH AMENDMENT) ORDER 1999 7 of 1999

## SECTION I

1. Short title, extent and commencement :

   (i) This Order shall be called "Telecommunication Tariff (Sixth Amendment) Order 1999."

   (ii) This Order shall be deemed to have come into force with effect from September 24, 1999.

## SECTION II

2. (i) Clause 11 of the Telecommunication Tariff Order 1999, shall be substituted to read as under :

The tariff specified by the Authority relates to quality of service parameters that may be set by the Authority from time to time. Service Providers shall clearly indicate the terms and conditions of the provision of telecommunication services to subscribers which shall not in any manner be inconsistent with the provisions of this Order. Such terms and conditions shall *inter-alia* include the following :

(a) Terms and conditions under which such services may be obtained, utilized and terminated;

(b) Terms and conditions relating to the use of service, billing, repair, fault rectification and the like;

(c) Choice of the tariff packages available to a subscriber and procedure available for revising the choice along with the conditions thereof.

(ii) In Schedule I (Basic Service Other Than ISDN) of the Telecommunication Tariff Order 1999 :

(a) Note (4) under Item 5 shall be deleted and substituted by the following :

From 1 April, 2000, rentals for low user subscribers and general user subscribers are to be charged at the end of the billing cycle, based on the extent of usage by the subscriber during that billing cycle. Therefore, usage during the billing cycle will determine whether the subscriber is a low user subscriber or a general user subscriber, and the respective rental corresponding to these categories will be charged according to that determination at the end of the billing cycle.

(b) Note (4) under Item 6 shall be deleted and substituted by the following :

From 1 April , 2000, rentals for low user subscriber and general user subscriber are to be charged at the end of the billing cycle, based on the extent of usage by the subscriber during that billing cycle. Therefore, usage during the billing cycle will determine whether the subscriber is a low user subscriber or a general user subscriber, and the respective rental corresponding to these categories will be charged according to that determination at the end of the billing cycle.

2934 GI/99—2

(c) After Item (18. e) the following shall be added :

| ITEM | TARIFF |
|---|---|
| **(18.bis) Service Provider owned "Centrex" Service** | |
| **All matters relevant to tariff** | Forbearance |

## SECTION III

3. Thus Order contains at Annex A, an Explanatory Memorandum-6 which explains the reasons for this amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999.

By Order
HARSHA VARDHANA SINGH, Economic Advisor
[Advt./III/IV/Exty/142/99]

## ANNEX 'A'

## EXPLANATORY MEMORANDUM - 6

### I. Procedure for migration of subscribers from one category to another

1. The Telecommunication Tariff Order(TTO) 1999, states as follows:

" The Procedures for migration of subscribers from one category to another (i.e. low user subscribers to general user subscribers, and vice versa) on the basis of the extent of usage will be notified before 30 September, 1999, as this issue becomes relevant only with effect from 1 April, 2000".

2. A need for this clarification arises because from 1 April, 2000, higher monthly rentals are specified in TTO 1999 for general user subscribers in comparison to low user subscribers.

3. When TTO 1999 was issued, rentals were charged as advance. Subsequently, rentals are being charged by the Department of Telecommunications at the end of the billing cycle. With this method of charging rentals, the categorization of low user subscribers and general user subscribers in a billing cycle becomes straightforward, based on the extent of usage by the subscriber.

## II. Tariffs for Centrex

4. Tariff for "Centrex" services had not been prescribed by the Authority in it's TTO 1999. A new tariff category has been added for "Centrex" in Schedule I for Basic Services (other than ISDN). Centrex services are being offered for the first time in September 1999. This is Item 18.bis. The Authority has decided that tariffs for this service shall be subject to forbearance at the present time.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.